भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 6/11/2024- डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल,जीवन तारा बिल्डिंग,5,संसद मार्ग,नई दिल्ली- 110001

दिनांक : 28 मार्च, 2024

जांच शुरूआत अधिसूचना
मामला संख्या : एडीडी(ओआई)- 10/2024

विषय : चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका से पोटाशियम टर्शियरी बुटोक्साइड (के टी बी) के आयातों और चीन जन. गण. से सोडियम टर्शियरी बुटोक्साइड (एस टी बी) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत

फा. सं. 6/11/2024-डीजीटीआर : समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद ''अधिनियम'' के रुप में भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद ''नियमावली'' के रुप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, सुपर्णा कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद ''आवेदक'' के रुप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद **''प्राधिकारी''** के रुप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है, जिसमें चीन जन. गण. तथा संयुक्त राज्य अमेरिका (जिन्हें इसके बाद **''संबद्ध देश''** के रुप में भी कहा गया है) से पोटाशियम टर्शियरी बुटोक्साइड अथवा के टी बी (जिसे इसके बाद "के टी बी" अथवा **"संबद्ध वस्तु"** अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' के रुप में भी कहा गया है) के आयातों और चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद **''संबद्ध देश''** के रुप में भी कहा गया है) से सोडियम टर्शियरी बुटोक्साइड अथवा एस टी बी (जिसे इसके बाद "एस टी बी" अथवा **"संबद्ध वस्तु"** अथवा ''विचाराधीन उत्पाद'' के रुप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं पाटन के कारण भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदक ने चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका से के टी बी के आयातों और चीन जन. गण. से एस टी बी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. विचाराधीन उत्पाद 'पोटाशियम टर्शियरी बुटोक्साइड' और 'सोडियम टर्शियरी बुटोक्साइड' हैं। उन्हें इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है :

4. पोटाशियम टर्शियरी बुटोक्साइड अथवा के टी बी एक रासायिनक यौगिक है जिसे कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक गैर- न्यूक्लियोफिलिक और सशक्त अल्कोक्साइड बेस के रुप में प्रयोग किया जाता है। इसे पोटाशियम-टी-बुटोक्साइड, पोटाशियम टर्शियरी बुटाइलेट अथवा पोटाशियम-टी- बुटाइलेट के रुप में भी जाना जाता है और इसका रासायनिक फार्मूला C_4H_9KO है। इसे पाउडर और / अथवा घोल के रुप में उत्पादित किया जाता है। तथापि, वर्तमान जांच केवल पाउडर रुप में के टी बी के संबंध में है। के टी बी का उपयोग डिप्रोटोनेशन रिएक्शन, आर्गनिक सिंथेसिस, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहेलोडिनेशन रिएक्शन में किया जाता है और इसका उपयोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट (ए पी आई) में भी किया जाता है।

5. सोडियम टर्शियरी बुटोक्साइड अथवा एस टी बी एक रासायिनक यौगिक है जिसे कार्बनिक रसायन विज्ञान में एक गैर- न्यूक्लियोफिलिक और सशक्त बेस के रुप में प्रयोग किया जाता है। इसे सोडियम-टी-बुटोक्साइड, सोडियम टर्शियरी बुटाइलेट अथवा सोडियम-टी- बुटाइलेट के रुप में भी जाना जाता है और इसका रासायनिक फार्मूला C_4H_9NaO है। इसे पाउडर और / अथवा घोल के रुप में उत्पादित किया जाता है। तथापि, वर्तमान जांच केवल पाउडर रुप में एस टी बी के संबंध में है। एस टी बी का उपयोग डिप्रोटोनेशन, कंडेंसेशन, बेस केटेलाइज, रीअरेंजमैंट और रिंग ओपनिंग जैसे विभिन्न रिएक्शन में किया जाता है और इसका उपयोग एग्रोकैमिकल, फार्मास्यूटिकल, कलरेंट, एरोमा कैमिकल, पॉलिमर डिटरजेंट और बायोडीजल में भी किया जाता है।

6. संबद्ध वस्तुएं सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत, टैरिफ कोड 2905 1490, 2905 1990 और 2905 4900 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. वर्तमान जांच के पक्ष विचाराधीन उत्पाद पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरू होने के 15 दिनों के भीतर पीसीएन (औचित्य के साथ), यदि कोई हो, प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित के टी बी एवं एस टी बी और संबद्ध देशों से उत्पादित तथा निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित और संबंधित देशों से आयातित प्रत्येक संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। संबद्ध वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से संबंधित देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं के साथ प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता संबद्ध वस्तुओं और समान वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" के रुप में माना गया है।

ग. <u>घरेलू उद्योग और उसका आधार</u>

9. यह आवेदन सुपर्णा केमिकल लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। यद्यपि दो अन्य उत्पादक हैं जिन्होंने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया हो सकता है, ऐसा उत्पादन केवल 1-2 मीट्रिक टन है। इस प्रकार, आवेदक को वर्तमान जांच के प्रथम दृष्टया उद्देश्य से भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र निर्माता माना गया है।

10. आवेदक ने यह उल्लेख किया है कि वे संबंधित देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक/ निर्यातक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि उसने जांच की प्रस्तावित अवधि के दौरान नमूना आधार पर चीन जन. गण. से <01 मीट्रिक टन एसटीबी का आयात किया है।

11. यह नोट किया जाता है कि आवेदक के पास संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है। उपरोक्त के मद्देनजर, यह नोट किया गया है कि आवेदक प्रथम दृष्टया नियमों के नियम 2 (बी) के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग का

गठन करता है, और आवेदन प्रथम दृष्टया नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने की आवश्यकता को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

12. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश के टी बी के संबंध में चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा एस टी बी के संबंध में चीन जन. गण. हैं ।

ङ. जांच की अवधि

13. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 (12 माह) की है। क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और जांच की अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन का आधार

i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रबल हैं, उनका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। आवेदक ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत निर्धारित करने के लिए, भारत से यूरोपीय संघ को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की कीमत पर विचार किया है। कारखाना बाहय सामान्य मूल्य पर पहुंचने के लिए कीमत को समायोजित किया गया है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से इस पर विचार किया है।

ii. संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सामान्य मूल्य

15. आवेदक ने दावा किया है कि जांच की प्रस्तावित अवधि के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित घरेलू बिक्री मूल्य और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयातों के मूल्य के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध साक्ष्य नहीं था। तदनुसार, आवेदक ने संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन की लागत का उपयोग करते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसका अनुमान उसके अपने उत्पादन की लागत पर आधारित है, जिसमें उचित लाभ शामिल है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से इस पर विचार किया है।

छ. निर्यात कीमत

16. आवेदक ने उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्यात मूल्य का दावा किया है। तथापि, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के सौदा-वार आंकड़ों में दी गई सूचना के अनुसार संबंधित वस्तुओं के सीआईएफ मूल्य के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के निर्यात मूल्य पर विचार किया है। शुद्ध निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय माल ढुलाई और कमीशन के संबंध में समायोजन किए गए हैं।

ज. पाटन मार्जिन

17. प्रत्येक संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में प्रत्येक संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-बाह्य निर्यात मूल्य से काफी अधिक है जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि संबंधित संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा प्रत्येक संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है जिससे कि जांच शुरू किए जाने को न्यायोचित ठहराया जा सके।

झ. क्षति और कारणात्मक संबंध

18. आवेदक ने प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध होता है कि आयातों से भारत में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। आयात की मात्रा में क्षति की अवधि, निरपेक्ष संदर्भ में और घरेलू उत्पादन और खपत के संदर्भ में काफी वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों से घरेलू मूल्यों में कटौती हुई है, घरेलू मूल्यों में कमी आई है और मूल्य वृद्धि को रोका गया है जो अन्यथा हो सकती थी। आवेदक ने यह दावा किया है कि आयातों से उसके उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और बाजार हिस्सेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर काफी प्रभाव पड़ा है और इससे हानि, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ है।

19. अत पाटनरोधी जांच शुरू करने को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य मौजूद हैं।

ञ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी स्वयं संतुष्ट होने के बाद, चीन जन. गण. और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित के टी बी और चीन चीन जन. गण. से एस टी बी के पाटन को प्रमाणित करते हुए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि करते हुए और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकारी संबंधित संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पादों के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उतनी मात्रा की सिफारिश करने के लिए जांच की शुरूआत करते हैं, जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ट. <u>प्रक्रिया</u>

21. नियमावली के नियम 6 में यथानिर्धारित सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा ।

ठ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adv11-dgtr@gov.in; jd12-dgtr@gov.in; और ad12-dgtr@gov.in के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/ एमएस वर्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, उनकी सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से, भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित होने के लिए ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस आरंभिक अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

24. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस आरंभ अधिसूचना, एडी नियम, 1995 और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतीकरण इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर कर सकता है। .

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ईमेल पते पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से जांच के लिए संगत अनुरोध कर सकते हैं।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने और आगे की प्रक्रिया के लिए वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की अधिकारिक वैबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें ।

ड. <u>समय सीमा</u>

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश को परिचालित किए जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजे जाने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adv11-dgtr@gov.in; jd12-dgtr@gov.in; और ad12-dgtr@gov.in पर भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और इस अधिसूसचना में यथानिर्धारित उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत करें।

30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है वहां उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय

बढ़ाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाना चाहिए ।

ढ. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

31. जहां कोई भी पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करता है या जानकारी प्रदान करता है, उसे नियमावली के नियम 7 (2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के संदर्भ में ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तरों/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता है।

32. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

33. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/ या ऐसी कोई अन्य सूचना जिसके प्रदाता द्वारा ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है । ऐसी सूचना जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है या वह सूचना जिसके अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, के मामले में उस सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

34. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

35. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है ।

36. हितबद्ध पक्षकार आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख के 7 दिनों के भीतर अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं ।

37. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 के संदर्भ में सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना या पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना या गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के बिना किया गया कोई भी प्रस्तुतीकरण प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

38. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

39. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. <u>सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण</u>

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, साथ ही उनसे अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध/ उत्तर/ सूचना के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। अनुरोध/ उत्तर/ सूचना के अगोपनीय पाठ को परिचालित करने में विफलता से हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना जा सकता है।

त. <u>असहयोग</u>

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार तर्कसंगत अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इंकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने निष्कर्षों को उपलब्ध तथ्यों के आधार पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी